



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3452/JH/38/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक: 11/09/2025

सेवा मे,

श्री मंजूनाथ भजंत्री

उपायुक्त,

जिला -रांची

उपायुक्त कार्यालय,

समाहरणालय भवन,

रांची, झारखंड 834001

Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने के संबंध में -श्री सलखन लकड़ा, ग्राममलटी-, पोस्टइंटकी-, जिलाअभ्यावेदन 1/का दिनांक रहित पत्र (झारखंड) रांची-

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 27.11.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 02:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री सलखन लकड़ा,

ग्राममलटी-, पोस्टइंटकी-,

जिला- (झारखंड) रांची-835301

Mobile No:9304251709

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3452/JH/38/2024-ESDW

दिनांक: 27.11.2024

श्री वरुण रंजन,
उपायुक्त, रांची,
कचहरी चौक, ब्लॉक-बी,
कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड
ई-मेल: dc-ran@nic.in

विषय: जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने के संबंध में – श्री सलखन लकड़ा, ग्राम-मलटी, पोस्ट-इंटकी, जिला-रांची (झारखंड) का दिनांक निरंक का पत्र/अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री सलखन लकड़ा से दिनांक निरंक में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री सलखन लकड़ा,
ग्राम-मलटी, पोस्ट-इंटकी,
जिला-रांची (झारखंड)


(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

सेवा

सेवा में,

श्रीमति डा. आशा लकड़ा
सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली

महाराजा,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सलखन लकड़ा पिता जी दुर्गा लकड़ा ग्राम मल्ला, थाना डिकी जिला राँची का स्वतंत्र निवासी हूँ।
हमारे मुईदरी जमीन पर खाता संख्या 134 एवं प्लॉट संख्या 53 में कुल 75 डिसेमिल जमीन है। हमलोगों के दादा-परदादा मैकवा उराँव पिता गन्दुरा उराँव जाती वगैरह के नाम से जमीन दर्ज है। जमीन पर दबाज लौंग तथा दलाल येशु बेलश एवं साकिर अंसारी तथा उनके लोगों के द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमलोगों ने बहुत फुसला कर मेरे परिवार के कुद लोगों द्वारा जमीन वापसी के मामले पर अंगुठा एवं हस्ताक्षर कराया गया।

सलखन:-

① थाना का आवेदन
उत्तेज लेने से दुर्कारकिता

② स्वमित्रता

③ उत्तेजना

अतः हमलोगों ने थाना पुलिस मजिस्ट्रेट सी. आँ. तथा कोई लोगों से करवा दे किया किन्तु कोई भी उनके डर से हमारी कोई मदद नहीं कर

फोन

ग्राम मल्ला

P.O. डिकी राँची

835301

मो. 9304251409

Email:- salkhan1082000@gmail.com

अतः

महाराजा से
कृपा कर

प्रायना है कि निम्नाय क दिलाने की

आपका विश्वासी

नाम - सलखन लकड़ा

आम - मंगरी उराँव